

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर
जबलपुर दिनांक 23/08/2024
क्रमांक 7257/ छात्र/2024/

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / छात्र/4434, जबलपुर दिनांक 18/05/2022 में अंशिक संशोधन करते हुये चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर एवं संबंध चिकित्सालयों में कार्यरत/अध्ययनरत महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिरोध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 के नियम 2013 के नियम 2013 के क्रियान्वयन हेतु पुनरिक्षित आंतरिक परिवाद समिति गठित की जाती है। आंतरिक परिवाद समिति निम्नलिखित होंगे:-

1. डॉ. गीता गुईन, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष स्त्रीरोग विभाग
2. श्रीमति मिताली बैनर्जी, समाज सेवी
3. डॉ. प्रियदर्शनी तिवारी, डेजिग्नेट प्राध्यापक स्त्रीरोग विभाग
4. डॉ. आफताब खान, सह प्राध्यापक, मनोरोग विभाग
5. श्रीमति लक्ष्मी कोरी, मेड्रन

- पीठासीन अधिकारी

- सदस्य

- सदस्य

- सदस्य

- सदस्य

पृ.क्रमांक 7257/ छात्र/2024/

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक मेडिकल कालेज चिकित्सालय जबलपुर की ओर।
2. संचालक, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मेडिकल कालेज जबलपुर।
3. संचालक, स्कूल ऑफ एक्सीलेन्सी इन पल्मोनरी मेडिसिन मेडिकल कालेज जबलपुर।
4. अधीक्षक, कैंसर चिकित्सालय जबलपुर की ओर।
5. समिति के सदस्त सदस्यों की ओर।
6. अधिष्ठाता कार्यालय के समस्त शाखाओं की ओर।

अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर
जबलपुर दिनांक 23/08/2024


अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर
Dean
N.S.C.B. Medical College
Jabalpur (M.P.)